100/29 2018/00/97

राजस्व लोक अदालत केम्प कांकराला तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एसमुकदमा न0 46/2018

वादीगण :– गणपतराम पुत्र रामाराम प्रजापत निवासी विरधाणियों की ढाणी

बनाम

प्रतिवादीगण :– जरिये तहसीलदार पचपदरा

88 आर.टी.ए <u>दावा बाबत घोषणा</u>

निर्णय दिनांक:–02.05.2018

वादीनी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत कांकराल में प्रस्तुत की गई है। वादी प्रार्थी गणपतराम के पिता की मृत्यु होने से राजस्व ग्राम विरधाणीयों की ढाणी में नामान्तरकरण 383 भरते समय सकाराम उर्फ सकिया भरा गया जो गलत। जब कि अन्य सरकारी दस्तावेज में गणपतराम नाम दर्ज है। असल में मेरा नाम गणपतराम है जो गलती से सकाराम उर्फ सकिया दर्ज हो गया है। अतः वादी ने अपना सही व शुद्व नाम गणपतराम दर्ज करने का निवेदन किया है।

जिस पर उपस्थित सरपंच ग्राम पंचायत कांकराला के प्रमाण पत्र मे वादी। तथा वादी गलत नाम सकाराम उर्फ सकिया की जगह गणपतराम पुत्र रामाराम सही नाम जाहिर किया है। उक्त वाद पत्र के संबंध मे पटवारी/उप तहसीलदार कल्याणपुर की संयुक्त रिपोर्ट प्राप्त की गई। आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड की फोटोप्रति का अवलोकन किया गया।

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया। वादीनी के प्रस्तुत वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज व पटवारी/उप तहसीलदार कल्याणपुर/ की संयुक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम विरधाणियों की ढाणी नामान्तरकरण 383 भरते समय सकाराम उर्फ सकिया भरा गया जो गलत। जब कि अन्य सरकारी दस्तावेज में गणपतराम नाम दर्ज है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है ग्राम विरधाणियों की ढाणी के नामान्तरकरण 383 में सकाराम उर्फ सकिया अंकित है। प्रस्तुत दस्तावेजानुसार सकाराम उर्फ सकाराम के स्थान पर गणपतराम पुत्र रामाराम राजस्व रेकर्ड में किया जावें।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एव पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......

Scanned by CamScanner